

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(71)वित्त-1(1)आय.व्य/2015

जयपुर, दिनांक : 31 मार्च, 2017

स्वीकृति संख्या:- 1054/2016-17

कोषाधिकारी,  
संबंधित।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्राविप्र) के पी.डी.खाते में राशि रुपये 61.29 लाख के हस्तांतरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्त लेख है कि शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 5( )माडा / शिक्षा / नवीन छात्रावास संचालन/2016-17 स्वीकृति सं. 101/2016-17 दिनांक 30.03.2017 में अंकित शर्तों के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद(ग्राविप्र) के पी.डी.खाते में कुल राशि रु. 61.29 लाख (अक्षरे रुपये इकसठ लाख उन्नतीस हजार) मात्र निम्न बजट मद में व्यय दर्शाते हुए उनके सामने अंकितानुसार हस्तांतरित कर दी जावे:-

मांग संख्या -30

- 2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण  
02 - अनुसूचित जन जातियों का कल्याण  
796 - जनजातिय क्षेत्र उपयोजना  
(16) - बिखरी जनजाति क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (ज.क.नि.)  
[01] - आश्रम छात्रावासों का संचालन  
12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना) राशि रुपये 40.54 लाख  
92 - सहायतार्थ अनुदान (संवेतन) (आयोजना) राशि रुपये 20.75 लाख

राशि लाखों में

क.सं.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राविप्र) जिला परिषद	12- सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना)	92 - सहायतार्थ अनुदान (संवेतन) (आयोजना)	कुल राशि
1	अजमेर	2.50	3.75	6.25
2	बूंदी	5.00	12.00	17.00
3	धौलपुर	2.50	5.00	7.50
4	राजसमन्द	10.54	0.00	10.54
5	उदयपुर	20.00	0.00	20.00
	योग	40.54	20.75	61.29

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

भवदीय,  
[Signature]  
(जसवन्त सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर।
3. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
4. विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद(ग्राविप्र), .....
6. अतिरिक्त निदेशक (संयुक्त निदेशक), वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
7. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

[Signature]  
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)